

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- / FP/UK/WATER/29879/2017 :देहरादून: दिनांक: ०४ जनवरी, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के अर्न्तगत विकासखण्ड थौलधार की सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

(ऑनलाईन फाईल संख्या- FP/UK/WATER/29879/2017)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः जनपद टिहरी गढ़वाल के अर्न्तगत विकासखण्ड थौलधार की सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (प्रस्ताव के प्रत्येक प्रति सहित)

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या 2356 / FP/UK/WATER/29879/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
5. जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के अर्न्तगत विकासखण्ड थौलधार की सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

(ऑनलाईन फाईल संख्या- FP/UK/WATER/29879/2017)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी में 0.285 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.445 है० राजस्व वन भूमि अर्थात् कुल 0.73 है० 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

Addl. P.C.C.F./N.O.
Land Survey Directorate
Dehradun

सरकारी मोहर:

तिथि : 08 / 01 / 2018

स्थान : देहरादून

